भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 1053

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 29 अप्रैल, 2016 को दिया गया)

<u>कंपनी कानून में खामियां</u>

1053. श्री आर. के सिंह :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान कंपनी कानून को इतने लापरवाह तरीके से तैयार किया गया है और इनमें कई खामियां हैं जिससे यह बेईमान लोगों के लिए धन शोधन करने और देश से धन को बाहर भेजने एवं मारिशस मार्ग से इसे वापस लाने के लिए छद्म कंपनियां बनाना संभव बनाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का छद्म और बेनामी कंपनियों के सृजन को रोकने के लिए कंपनी कानून में समग्र संशोधन करने का प्रस्ताव है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरूण जेटली)**

(क) से (ग): जी, हां। कंपनी अधिनियम, 1956/2013 में व्यवस्था है कि केवल वे व्यक्ति ही किसी कंपनी के निदेशक बन सकते हैं जिनके पास पहचान पत्र और पता प्रमाण पत्र के सत्यापन के बाद आबंटित की गई निदेशक पहचान संख्या है। इसके अतिरिक्त, कानून में कंपनियों के पंजीकृत कार्यालय पतों का व्यवसायरत पेशेवरों द्वारा भौतिक सत्यापन करना और कंपनी द्वारा पंजीकृत कार्यालय की स्थापना या परिवर्तन की दशा में कंपनी रजिस्ट्रार को सूचित किए जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त सभी कंपनी के लेखे लेखांकन मानकों के अनुसार तैयार किए जाने और बाहरी लेखापरीक्षकों द्वारा उनकी लेखापरीक्षा की जानी अपेक्षित है। लेखापरीक्षकों को भी एक निर्दिष्ट सीमा से ऊपर की धोखाधड़ी पायी जाने पर केन्द्रीय सरकार को सूचित करना होता है। धोखाधड़ी के लिए कठोर दंडों का प्रावधान किया गया है। ये प्रावधान कंपनियों और उनके निदेशकों

का पता लगाने और किसी कंपनी के वित्तीय लेन-देन की सत्यता और पूरी जानकारी का पता लगाने के लिए पर्याप्त प्रतीत होते हैं।

*****